कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2582 / FP/UK/ROAD/20224/2016 :देहरादूनः दिनांकः 27 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अंर्तगत मरगांव–चमियारी–गमरी–उलण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.879 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/03/2017/एफ0सी0/2150, दिनांकः–12–03–2018।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन के द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र संख्या–2152/12–1 दिनांक 18–04–2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः –

क0 स0	शर्तो का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.758 हे0 ग्राम इन्द्रा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.758 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 27,19,213.00 की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 4.879 हे0 वन भूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 9.758 हे0 हेतु चयनित स्थल ग्राम इन्द्रा तहसील चिन्यालीसौड़ खसरा संख्या 1727, 1749 व 1750 रकवा क्रमशः 0.989, 4.127 व 4.642 हे0 मे से 9.758 हे0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। **(संलग्नक–1)**
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 41,22,755.00 एन0पी0वी0 की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–2, 3)**
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है **(संलग्नक–4)**

	प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cast. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर NEFT/RTGS के माध्यम से Corporation Bank, Lodhi complex Branch, block 11 CGO complex, Phase-1 Lodhi road New Delhi 11003 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या–150896120179545 में रु0 68,41,968.00 जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–2, 3 के अनुसार)**
5.	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में की जायेगी। इस प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(बी0पी0गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / FP/UK/ROAD/20224/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को उनके पत्र संख्या–2152/12–1 दिनांक 18–04–2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(बी0पी0गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।